न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 28/2022 रा.रा.अ.

हरसहाय पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई दौसा जरिये परियोजना निदेशक कार्यालय रावत पैलेस के पास, आगरा रोड दौसा जिला दौसा।
2. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग एन. एच. 148 रामगढ पचवारा जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध अवार्ड दिनांक 23.8. 2018 भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ पचवारा खसरा नंबर 290 व 319 बाबत भूमि अवाप्ति ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा

उपस्थित– 1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 22.0.5.2024

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा द्वारा एन.एच.148 एन. के अंतर्गत ग्राम बिडौली के खसरा नंबर 290 व 319 में स्थित भूमि के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ पचवारा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 23. 8.2018 एवं समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 11.9.2018 जो कि भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य के दौसा जिले में एन. एच. 148 एन. के किलोमीटर 170.8 से 210 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण करने की घोषणा की गई, जिसके तहत अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 290 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 0.2578 है. एवं खसरा नंबर 319 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा में से 1.5693 है. भूमि अवाप्त की गई है। जिसकी मुआवजा राशि अप्रार्थीगण ने हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी व डामरीकृत सडक से दूर असिंचित मान कर अवार्ड राशि पारित की गई है, जब कि प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि हाईवे से 500 मीटर से कम दूरी पर एवं डामरीकृत सडक पर सिंचित स्थित है जिसका प्रमाण तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा जारी नक्शा जिसमें स्पष्ट रूप से ... अवाप्तशुदा खसरा ... को सडक पर दिखा रखा है एवं प्रार्थी की भूमि के पास ही अन्य भूमि खसरा नंबर 46 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 325 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा है, जिसके खातेदार लल्लूप्रसाद, कालू

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:24 IST
Reason: Self Attested

निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

छीतरमल पिसरान रामफूल वगैरह है। उक्त भूमि भी अप्रार्थी सं० 2 द्वारा अवाप्त की गई है तथा उक्त भूमि का अवार्ड 0 से 100 मीटर की परिधि में स्थित डी.एल.सी. दर से अवार्ड जारी किया गया है जब कि प्रार्थी के खसरा नंबर 48 व 325 के बराबर सटते हुए है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं0 1 ने भेदभावपूर्ण तरीके से प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने की गरज से उक्त भूमि का अवार्ड 500 मीटर से अधिक की दूरी पर मानकर गलत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के यहाँ आपत्ति दिनांक 25.6.2020 को प्रस्तुत की गई थी जिसमे अप्रार्थी सं0 2 द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 4.8.2020 की है तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा के पत्र दिनांक 5.8.2020 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्रार्थी सं0 2 के यहाँ प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रामगढ पचवारा की तथ्यात्मक रिपोर्ट में चरण सं0 3 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि अवार्ड में उक्त खसरा नंबर को मुख्य सडक से दूर असिंचित बताकर मुआवजा निर्धारित किया है। मौके पर खसरा नंबर 319 मुख्य सडक से 200 से 500 मीटर के दायरे मे आ रहा है तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अनुतोष स्वरूप यह भी मार्गदर्शित किया कि उक्त खसरा नंबर का सडक सीमा से 200 से 500 मीटर की दर से मुआवजा दिया जाना उचित होगा। इस प्रकार अप्रार्थी सं० 2 नें तहसीलदार रामगढ पचवारा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं उक्त भूमि की 4 वर्ष की गिरदावरियों में भी उक्त भूमि सिंचित है जिसमें गेहूं जौ व चना की फसल दर्ज हो रही है, को अनदेखा कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की मुआवजा राशि 500 मीटर से अधिक की दूरी पर असिंचित मानकर अवार्ड पारित किया गया है जो कानून के विपरीत है। जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के मुआवजा राशि को नहीं बढाया गया है ना ही किसी प्रकार का कोई कानूनी आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 290 व 319 वाके ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा के संबंध में पारित अवार्ड आदेश दिनांक 23.8.2018 में पारित राशि को बढा कर हाईवे से 100 से 500 मीटर की दूरी व सिंचित भूमि की दर से दिये जाने के आदेश अप्रार्थीगण को प्रदान किये जावे।

4. अप्रार्थी सं0 1 व उनके अधिवक्ता को बार– 2 आवाज दिलवाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि दौसा जिले में एन. एच. 148 एन के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 290 में से 0.2578 है. एवं खसरा नंबर 319 में से 1.5533 है. भूमि अवाप्त की गई थी। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित अनुसार बारानी दर से मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया था। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में यह भी कथन किया कि किन्ही वर्ष में किसी अन्य व्यक्ति से पानी उधार लेकर भूमि की सिंचाई करने से भूमि को सिंचित नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. पत्रावली में सलग्न भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा की रिपोर्ट कमांकः1743 दिनांक 03.10.2023 का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य ज्ञात होते हैः–

6.1 खसरा नंबर 290 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा भूमि अनुसार 0.25है. भूमि अवाप्त की गई है जिसका राजमार्ग के 500 मीटर से ऊपर, डामरीकृत सडक से दूर व सिंचित भूमि अनुसार राशि 5,23,755/–रू0 का अवार्ड जारी कर हरसहाय पुत्र श्री नारायण मीना निवासी बिडौली को राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक डिडवाना में भुगतान कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:24 IST
Reason: SelfAttested

.....निरन्तर 3 पर

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

6.2 खसरा नंबर 319 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से रकबा 1.5533 है. भूमि अवाप्त की गई थी जिसका राजमार्ग के 500 मीटर से ऊपर, डामरीकृत सडक से दूर व असिंचित भूमि अनुसार राशि 21,74,191/–रू. रूपये का अवार्ड जारी कर श्री हरसहाय पुत्र श्री नारायण जाति मीना निवासी बिडौली को दिनांक 26.8.2022 को राज0 मयघरा ग्रामीण बैंक डिडवाना में भुगतान कर दिया गया है।

6.3 उक्त खसरां बाबत तहसीलदार रामगढ पचवारा से जांच करवाई गई जिसके अनुसार राजस्व ग्राम बिडौली के खातेदार श्री हरसहाय पुत्र श्री नारायण जाति मीना के खसरा नंबर 319 की अवाप्तशुदा भूमि की दक्षिणी सीमा की राजस्थान स्टेट हाईवे 24 से न्यूनतम दूरी 376 मीटर है।

6.4 ग्राम बिडौली के खातेदार श्री हरसहाय पुत्र श्री नारायण मीना के खसरा नंबर 290 की अवाप्तशुदा भूमि ग्रामीण डामरीकृत सडक से लगती भूमि है।

Web Copy - Not Official

6.5 खसरा नंबर 319 व 290 की पूर्व खसरा गिरदावरी अनुसार खरीफ व रबी की फसल बुवाई की गई है। वर्तमान में भी दोनों फसल बुवाई की जाती है। उक्त दोनों खसरों की भूमि सिंचित है।

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा एन. एच. 148 एन. के निर्माण हेतु प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम बिडोली के आराजी खसरा नंबर 290 में से 0.2578 है. एवं खसरा नंबर 319 में से 1.5533 है. भूमि अवाप्त की गई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा ने खसरा नंबर 319 रकबा 1.5533 है. भूमि की दर असिंचित राजमार्ग से 500 मीटर से उपर डामरीकृत सडक से दूर की प्रचलित डी.एल.सी. दर 544843/– रू0 प्रति है० की दर से मुआवजा राशि कुल 21,74,191/– रू0 एवं खसरा नंबर 290 का अवाप्त शुदा रकबा 0.2578 है. की दर सिंचित दर से राजमार्ग से 500 मीटर से उपर डामरीकृत सडक से दूर की प्रचलित डीएलसी दर 7,67,154/–रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से 5,23,755/–रू० का मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त रिर्पोट क्रमांकः 1743 दिनांक 3.10.2023 के अवलोकन से भी यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि खसरा नंबर 290 ग्रामीण डामरीकृत सडक से लगती हुई है जिसका भूमि अवाप्ति अधिकारी ने सिंचित डामरीकृत सडक से दूर की डीएलसी दर से मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। साथ ही अवाप्त शुदा भूमि खसरा नंबर 319 का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी ने राजमार्ग से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित असिंचित भूमि की दर से मुआवजा आदेश पारित किया गया है, जब कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा की रिपोर्ट दिनांक 3.10. 2023 में भूमि खसरा नंबर 319 की दूरी स्टेट हाईवे नं0 24 से 376 मीटर व सिंचित [illegible] है। पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2073 से संवत 2076 में भूमि सिंचित [illegible] है। भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ पचवारा की रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 290 ग्रामीण डामरीकृत से लगती हुई है जबकि डामरीकृत सडक से दूर की दर से मुआवजा अवार्ड पारित किया गया है तथा खसरा नंबर 319 की दूरी स्टेट हाइवे से 376 वर्गमीटर है एवं नकल खसरा गिरदावरी में सिंचित दर्ज है जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने भूमि का मुआवजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:24 IST
Reason: Self-Attested

......निरन्तर 4 पर

Devendra

जिला कलेक्टर,दौसा

असिंचित दर से एवं हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी बताकर मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी को उसके वैधानिक हक से वंचित किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते है। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ पचवारा को रिमांड किया जाना उचित समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर निम्न आदेश पारित किये जाते है:–

7.1 भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा पारित मुआवजा अवार्ड के खसरा नंबर 290 व 319 के उस भाग को निरस्त किया जाता है जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 290 को डामरीकृत सडक से दूर बताकर एवं खसरा नंबर 319 की मुआवजा हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी एवं असिंचित भूमि की दर से मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है।

7.2 भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ पचवारा को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों व इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी सं01 व अप्रार्थी सं0 1 दिनांक 10.6.2024 को भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष व दस्तावेज प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:24 IST
Reason: SelfAttested